



Government of Rajasthan  
National Health Mission, Rajasthan  
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur  
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/ IHRMS/ Part-II /120

Date: 31/05/2018

कार्यालय आदेश

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- CHRIS सॉफ्टवेयर एवं TMIS ID के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31/03/2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर आपको निर्देशित किया जाता है कि CHRIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु ID बनाया (Generate) जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही चिकित्सक/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिक/ एनएचएम कार्मिक को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजने से पूर्व उनका **CHRIS ID** बनाना (यदि नहीं हो तो) सुनिश्चित करावें। ताकि TMIS (Training Management Information System) का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें श्रीमती अंकिता शर्मा (डी.एन.ओ. सीएसआर) 0141-5112527

सलंगन:- आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31/03/2018।

(प्रीति माथुर)  
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, परियोजना निदेशक एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य/आरसीएच।
4. निजी सहायक, निदेशक सीफू।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
6. समस्त परियोजना निदेशक/ राज्य नोडल अधिकारी/ सलाहकार।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम